

अभिमुक्त जितेन्द्र देव व फूमवी

दिनांक 12/8/2026 को

अभिमुक्त शर्मा
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
बांदीकुर्द, जिला-बोसा (राज.)

12/08/26

AP0 उपस्थित। अभिमुक्त जितेन्द्र अनुपस्थित।
अभिमुक्त जितेन्द्र का हाजरी भाजी का प्रार्थना
पत्र जरिये अधिवक्ता पैरा हुआ जो कि आज के
लिए स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता अभिमुक्त
द्वारा शेष बहस हेतु समय पाटा गया। न्यायद्वि
में अवसर दिया जाता है। चूंकि प्रकरण
Targetted सूची में है। अधिवक्ता अभिमुक्त को
आगामी पेशी पर शेष बहस करने तथा अभिमुक्त
को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने के
निर्देश दिये जाते हैं।

पत्रावली वाले बहस अंतिम दिनांक
21/08/26 को पेश हो।

अभिमुक्त शर्मा
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
बांदीकुर्द, जिला-बोसा।